



2026:AHC:35678

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट-सी संख्या - 6442/2026

मृत गजाधर एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दीपांकर पाण्डेय एवं, प्रदीप कुमार श्रीनेत

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, हाटा, जनपद कुशीनगर को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 116, (कंप्यूटरीकृत केस नंबर टी201802440202282 (कमला और अन्या बनाम गजाधर)), जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के अंतर्गत लंबित है, एक निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याचिकाकर्ताओं के विधिक सलाहकार तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित श्री सुधीर भारती, विधिक सलाहकार को सुना गया।
3. आज पारित किए जाने वाले आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा मुद्दे के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, हाटा, जनपद कुशीनगर, उपरोक्त मामले का निर्णय, विधि के अनुसार कड़ाई से, शीघ्रतापूर्वक तथा यथासंभव इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् करे, जब तक कि कोई विधिक बाध्यता विद्यमान न हो।

17 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”